

case no. 66A/2016

न्यायालय:- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0  
(पीठासीन अधिकारी:-साजिद मोहम्मद)

व्यवहारवाद कमांक-66ए/2016

संस्थित दिनांक- 13.06.2016

Filling no- 235103002472016

01	तोरन सिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी आयु 60 साल पेशा खेती निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 .....वादी
विरुद्ध	
01	गुड्डीबाई पुत्री लालचन्द्र पत्नि मन्नूलाल जाति काछी आयु 40 निवासी अर्रोन
02	सुकनबाई पुत्री बालचन्द्र जाति काछी पत्नि नामालूम निवासी ग्राम धुर्रा अशोकनगर म0प्र0
03	लखन पुत्र धूपसिंह जाति लोधी आयु 40 साल पेशा खेती निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी
04	वल्लू पुत्र धूपसिंह जाति काछी आयु 35 साल पेशा खेती निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी
05	महेन्द्र पुत्र धूपसिंह जाति काछी आयु 32 साल पेशा खेती निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी
06	मालम पुत्र हरलाल जाति काछी आयु 35 साल पेशा खेती निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी
07	भरत सिंह पुत्र हरलाल जाति काछी आयु 30 साल पेशा खेत निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
08	तुलसीराम पुत्र कन्हैयालाल जाति काछी आयु 45 साल पेशा खेती निवासी ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 .....प्रतिवादीगण
09	म0प्र0 राज्य शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर म0प्र0 .....फोरमल प्रतिवादी

वादी द्वारा :- श्री सतीश श्रीवास्तव अधि०।  
प्रतिवादीगण द्वारा :- श्री आई.के.पठान अधि०।

-----:: / / निर्णय / / ::-----

**[आज दिनांक:- 24.11.2017 को घोषित किया गया]**

**01—** यह दावा वादी की ओर से ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्र० 8 रकबा 0.178 है०, सर्वे नं० 113/02 रकबा 0.094 है०, सर्वे नम्बर 117/02 रकबा 0.046 है० सर्वे न० 150/2 रकबा 0.627 है०, सर्वे न० 151/1 रकबा 0.355 है० सर्वे न० 152/1 रकबा 0.331 है०, सर्वे न० 160/10 रकबा 0.627 है०, सर्वे न० 170/2 रकबा 0.261 है०, सर्वे न० 15 रकबा 0.136 है० भूमि (जिसे आगामी पदो में वादग्रस्त भूमि कहा गया है) पर स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने से निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

**02—** वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम अर्रोन तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे 8 रकबा 0.178 है०, सर्वे नं० 113/02 रकबा 0.094 है०, सर्वे नम्बर 117/02 रकबा 0.046 है० सर्वे न० 150/2 रकबा 0.627 है०, सर्वे न० 151/1 रकबा 0.355 है० सर्वे न० 152/1 रकबा 0.331 है०, सर्वे न० 160/10 रकबा 0.627 है०, सर्वे न० 170/2 रकबा 0.261 है०, सर्वे न० 15 रकबा 0.136 है० भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। उक्त भूमि से प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 8 का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादीगण वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर शांति पूर्वक कास्त नहीं करने दे रहे हैं। वादी भूमि को जोतने बखरने को जाता है तो प्रतिवादीगण एक होकर वादी के हिस्से की भूमि पर आकर झगडा करने का अमादा हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रतिवादीगण वादी की कई बार मारपीट कर चुके हैं और कभी वादी की फसल चोरी से काट लेते हैं कभी जानवरो से चरवा देते हैं और वादी को हर तरह से परेशान करते हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी क्र० 9 से इस दावे में कोई सहायता नहीं चाही है। वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर वादग्रस्त भूमि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को इस बाबत् निषेधित करने हेतु प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें।

**03—** प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 8 की ओर से जबाब दावे में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है, वादी स्वयं प्रमाणित करें। जिस भूमि को वादी ने वादग्रस्त प्रकट किया है वह वादी एवं प्रतिवादीगण की पुस्तैनी भूमि है जिसका बटांकन गलत रूप से हुआ। प्रतिवादीगण भी वादग्रस्त भूमि के स्वामी हैं,

किन्तु प्रतिवादीगण के बटा नम्बर पृथक होकर सर्वे क्रमांक समान है। प्रतिवादीगण ने वादी की फसल को कभी नहीं काटा है और न ही वाद कारण दिनांक 01.06.2016 को किसी भी स्थान पर उत्पन्न हुआ है। वादी ने कम न्यायालय शुल्क अदा किया है और वादी प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिये वादी ने यह बाद प्रस्तुत किया है जिसे सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

**04—** प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 9 म.प्र.शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है तथा शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है। प्रतिवादी क्र. 9 को समंस की तामीली के उपरांत अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

**05—** उभयपक्ष के अभिवचन व प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त उनके सम्मुख अंकित किये गये :-

1.	क्या वादी ग्राम अर्गेन तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्र० 8 रकवा 0.178 है०, सर्वे नं० 113/02 रकवा 0.094 है०, सर्वे नम्बर 117/02 रकवा 0.046 है० सर्वे न० 150/2 रकवा 0.627 है०, सर्वे न० 151/1 रकवा 0.355 है० सर्वे न० 152/1 रकवा 0.331 है०, सर्वे न० 160/10 रकवा 0.627 है०, सर्वे न० 170/2 रकवा 0.261 है०, सर्वे न० 15 रकवा 0.136 है० भूमि (जिसे वादग्रस्त भूमि कहा गया है) का वादी स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है ?	प्रमाणित
3	क्या विवादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुस्तैनी भूमि होकर उसका गलत रूप से बटांकन हुआ है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादी को स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
5.	क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	पैरा 15 के अनुसार

-----:://सकारण निष्कर्ष//::-----

**वादप्रश्न क्रमांक- 1, 4 व 5 :-**

**06—** वाद प्रश्न क्र० 1, 4 व 5 का निराकरण साक्ष्य एवं तथ्य की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। तोरण वा०सा०1 ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि उसे उसके पिता से आपसी बटवारे में प्राप्त हुई थी, लगभग एक डेढ़ साल से उसकी भूमि पर प्रतिवादीगण खेती नहीं करने देते। वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में किस्तबंदी खतौनी प्र.पी.1, खसरा प्र. पी. 2 व 3 वर्ष 2013-14 एवं सम्पन्नता प्रमाण पत्र प्र.पी.4 तथा खसरा वर्ष 2012-13 प्र.पी. 5 प्रस्तुत किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों में वादग्रस्त भूमि वादी तोरण के नाम पर दर्ज है, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में वादग्रस्त भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होने के संबंध में वादी द्वारा स्वयं प्रमाणित करने की बात लेख की है।

**07—** तोरण वा०सा०1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि विवादग्रस्त भूमि उसे अपने पिता से प्राप्त हुई थी। आगे उक्त साक्षी प्रतिपरीक्षण में बताता है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसे हिस्से में कितनी जमीन मिली थी, उसने भाईयों से बटवारा नहीं करवाया और विवादग्रस्त भूमि का पांचो भाईयों का मौके पर बटवारा नहीं हुआ है तथा विवादग्रस्त भूमि को पिता के समय से ही और आज दिनांक तक प्रतिवादीगण ने जोतने नहीं दिया है। वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने उसके पिता के समय से ही कब्जा कर लिया है और उसका विवादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। हीरालाल वा०सा०2 उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया है कि तोरण उसकी भूमि पर काबिज होकर खेती करता है, वहीं प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में व्यक्त करता है कि वादी तोरण को महेन्द्र, बबलू, लखन जमीन नहीं जोतने देते हैं। लखन प्र०सा०1 ने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में लेख किया कि उसे तथा उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने तोरण की भूमि से कोई संबंध नहीं है।

**08—** स्वयं वादी तोरण ने उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का उसके पिता के समय से ही कब्जा है और उसका वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं वादी द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों में प्रतिवादीगण द्वारा उसकी विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के संबंध में कथन किया है किन्तु अपने दावे में प्रतिवादीगण से उक्त विवादग्रस्त भूमि के आधिपत्य मांगने के संबंध में कोई सहायता नहीं चाही है।

**09—** वादी द्वारा उसके पक्ष समर्थन में किस्तबंदी खतौनी प्र.पी.1, खसरा प्र.पी. 2 व 3 वर्ष 2013-14 एवं सम्पन्नता प्रमाण पत्र प्र.पी.4 तथा खसरा वर्ष 2012-13 प्र.पी.

5 प्रस्तुत की है। **मूलशंकर बनाम स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर 1994 एससी पेज 1496** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्व संबंधी दस्तावेजों को स्वत्व संबंधी प्रलेख नहीं माना है। **विष्णुशरण व अन्य बनाम अयोध्या बाई 2003 म0प्र0 लॉ जनरल पेज 25** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि वादी को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना हक साबित करना होगा। खसरा प्रविष्टियों से केवल उसकी यर्थाता का उपधारणात्मक मूल है तथा खसरा प्रविष्टियों के आधार पर हक उपधारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संपोषक साक्ष्य है। भले ही प्रतिवादीगण अपनी प्रतिरक्षा प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं किन्तु सर्वमान्य सिद्धांत है कि प्रतिवादी की किसी दुर्बलता के आधार पर वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं अपने बल पर दावा प्रमाणित होता है।

**10—** इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर केवल खसरा प्रविष्टि के आधार पर वादी को विवादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा उसके अभिवचनों में यह भी व्यक्त नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसके स्वामित्व का श्रोत क्या है। वादी की ओर से किस्तबंदी खतौनी प्र.पी. 1, खसरा प्र.पी. 2 व 3 वर्ष 2013–14 एवं सम्पन्नता प्रमाण पत्र प्र.पी.4 तथा खसरा वर्ष 2012–13 प्र.पी. 5 प्रस्तुत की है। जिसमें वादी का नाम उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में कब्जेदार के रूप में अंकित है। विधि का यह स्वस्थापित नियम है कि आधिपत्य प्रमाणित करने के लिये निरंतर आधिपत्य होना चाहिए यदि वादी उक्त विवादग्रस्त भूमि पर पुस्तैनी रूप से काबिज है तो वादी को अपना आधिपत्य स्थापित प्रमाणित करने के लिये निरंतर आधिपत्य उक्त विवादग्रस्त भूमि पर होने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए थे जो वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार वाद प्रश्न क्र० 1 के संबंध में यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि का वादी तोरण स्वत्वधारी है, एवं न ही यह प्रमाणित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है। अतः वाद प्रश्न क्र० 1 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है। जहां की विचारणीय प्रश्न क्र० 1 के निराकरण में वादी वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रमाणित नहीं है, वहां यह भी प्रमाणित नहीं होता है प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिये वादी स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता भी प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्र० 4 एवं 5 का निराकरण **प्रमाणित नहीं** के रूप में किया जाता है।

### **वादप्रश्न क्रमांक— 2 :-**

**11—** वादी द्वारा वर्तमान वाद मूल्यता स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है तथा भूमि की मालियत 200/— रुपये कायम की जाकर उस पर 200/— न्यायालय शुल्क अदा किया है। वादी द्वारा मूलतः उक्तानुसार मूल्यांकन कर न्यायालय शुल्क अदा किया गया है जो उचित है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादी द्वारा दावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। अतः वाद प्रश्न

क्रमांक 5 का निराकरण प्रमाणित के रूप में किया जाता है।

**वादप्रश्न क्रमांक— 3 :-**

**12—** विवादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पुस्तैनी भूमि होकर उसका गलत रूप से बटांकन हुआ है। इस संबंध में उभयपक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पुस्तैनी होकर उसका गलत रूप से बटांकन हुआ है। अतः वाद प्रश्न क्र० 3 का निराकरण प्रमाणित नहीं के रूप में किया जाता है।

**वाद प्रश्न क्र० 6:-**  
**सहायता एवं व्यय**

**13—** उपरोक्तानुसार विवादको पर किये गये विधिगत एवं तथ्यगत विश्लेषण के उपरांत अभिप्राप्त निष्कर्ष के आधार पर वादी यह अधिसंभाव्य रूप से प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे नम्बर 8 रकवा 0.178 है०, सर्वे नं० 113/02 रकवा 0.094 है०, सर्वे नम्बर 117/02 रकवा 0.046 है० सर्वे न० 150/2 रकवा 0.627 है०, सर्वे न० 151/1 रकवा 0.355 है० सर्वे न० 152/1 रकवा 0.331 है०, सर्वे न० 160/10 रकवा 0.627 है०, सर्वे न० 170/2 रकवा 0.261 है०, सर्वे न० 15 रकवा 0.136 है० का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य नहीं होने पर भी आधिपत्य मांगने की सहायता नहीं चाही है, ऐसी स्थिति में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के परन्तुक के अनुसार— “कोई न्यायालय हक की उपधारणा ऐसी परिस्थिति में नहीं करेगा जिसमें वादी हक की घोषणा के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए, ऐसा करने का लोप करे”

**14—** न्याय दृष्टांत गंगाधर व अन्य बनाम भवरी बाई व अन्य 2012 (1) एमपीएलजे पेज 114 के पद क्रमांक 16 में माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जहां वादग्रस्त संपत्ति पर दावा प्रस्तुति दिनांक से वादी का आधिपत्य नहीं हो तथा वादी द्वारा आधिपत्य की सहायता नहीं मांगी है तब दावा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के परन्तुक के अनुसार चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में रामशरण व अन्य विरुद्ध श्रीमती गंगादेवी एआईआर 1972 एमसी 2685 के अवलोकनीय है। हस्तगत प्रकरण में वादी ने स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है किन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य न होते हुए भी, आधिपत्य की सहायता नहीं मांगी है। अतः उक्त न्याय दृष्टांतो को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद बिना आधिपत्य की सहायता मांगे चलने योग्य नहीं है।

**case no. 66A/2016**

**15—** अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है। वादी स्वयं का एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।

**16—** अभिभाषक शुल्क की राशि भुगतान के प्रमाणीकरण के आदेश नियत 523 म0प्र0 सिविल न्यायालय नियमानुसार संगणित की जावे या जो वास्तविक भुगतान किया गया हो या जो न्यून हो व्यय में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर  
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0